रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1998/भाद्र 11, 1920
No. 342] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 1998/BHADRA 11, 1920

21/9/98

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1998

सा. का. नि. 553 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 11 के उपनियम (2) में "साठ वर्ष" शब्दों के लिए "बासठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 4/98 (फा. सं. 8(6)97-सी० ए०]

श्रीमती माला दत्त, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियमावली दिनांक 4-8-1978 के सा.का.नि. 395(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् दिनांक 15-11-80 के सा.का.नि. 1177, दिनांक 31-12-85 के सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 8-8-87 के सा.का.नि. 592(अ), 24-11-88 के सा.का.नि. 950(अ) और दिनांक 24-1-94 के सा.का.नि. 31(अ) के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1998

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal of Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules,1978 in rule 11 in sub-rule (2), for the words "sixty years", the words "sixty-two years" shall be substituted.

[F. No. 4/98 (F. No. 8(6)97-C.A).]

MRS. MALA DUTT, Dy. Secy.

Footnote :— The Principal rules were published vide G.S.R. No. 395(E) dated 04-08-1978 and subsequently amended vide G.S.R. No. 1177 dated 15-11-1980, G.S.R. No. 953(E) dated 31-12-1985, G.S.R. No. 592(E) dated 08-08-1987, G.S.R. No. 950(E) dated 24-11-1988 and G.S.R. No. 31(E) dated 24-01-1994.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998